

जागो
ग्राहक
जागो

समझदार ग्राहक बनें

निम्नलिखित विवरण हर पूर्व पैक वस्तु पर जाँच की जानी चाहिए:

- निर्माता/पैकर/आयातक
- वस्तु का सामान्य जातीय नाम
- शुद्ध मात्रा
- निर्माण/पैकेजिंग/आयात
- अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)
- उपभोक्ता देखभाल विवरण
- वस्तु का मूल उत्पादक देश
- महीना और वर्ष जिसके बाद वस्तु मानव उपभोग के लिए अयोग्य हो सकती है ।



जनहित में जारी:

उपभोक्ता मामले विभाग


उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
14404 या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक